XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक विविध 1524–दो / 06 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण न्यायालय मानहानि अधिनियम का है । प्रकरण में उभयपक्षों को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश करने के निर्देश दिए गए थे किंतु किसी भी पक्ष द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.05 को यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए गए । आवेदक का कहना है कि उसके द्वारा उक्त आदेश की सूचना दिनांक 21.12.05 को तहसीलदार को दी गई थी, किंतु इस संबंध में कोई प्रमाण उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसको चाहिए था कि वह आवेदन के साथ इस न्यायालय के आदेश की प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करते उसके द्वारा ऐसा किया गया है, इसका भी कोई प्रमाण अर्थात आवेदन की प्राप्ति का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उसके कथन की पुष्टि हो सके । ऐसी स्थिति में ऐसा कोई आधार नहीं है जिस कारण अनावेदकों के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही की जाये । दर्शित परिस्थिति में यह अवमानना का आवेदन निरस्त किया जाता है । सदस्य	

TEN RUPEES

CPS 101

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर।

प्र0क्र0 ।2006 विविध

विविध 1524-II/2006

केदार प्रसाद पुत्र लज्जाराम ब्राह्मण
निवासी ग्राम हैचाया तहसील गोहद
जिला भिण्ड ------ आवेदक

विरुद्ध

1- रघुराजसिंह तोमर, तहसीलदार महोदय
तहसील मेहगांव जिला भिण्ड

2- एम0 टी0 आर्या, पटवारी हल्का नं0 27
तहसील गोहद जिला भिण्ड

3- छोटेलाल } पुत्रगण फादे कुशवाह
4- विजयसिंह }

5- फूलाबाई पत्नी स्व0 पातीराम

6- चन्दनश्री पत्नी स्व0 देकलाल

7- बनवारीलाल }
8- अन्तराम }
9- रामनिवास } पुत्रगण देकलाल
10- धारासिंह }
11- रामविलास }

समस्त निवासीगण ग्राम ऐचाया तहसील गोहद
जिला भिण्ड ------ अनावेदकगण

.... द्वारा 22/8/06 को प्रस्तुत।
उप सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

22/8/06

केदारप्रसाद

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 14 कन्टेम्प्ट आफ कोर्टस एक्ट.

महोदय,

आवेदक ने एक पुनरीक्षण प्र0क्र0 2137-दो।2005 केदार प्रसाद विरुद्ध छोटेलाल एवं अन्य 9 के विरुद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण

--- 2